अनुदान संख्या 64 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
GRANT No. 64 - MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	6471,36,00	6471,41,00	6216,36,01	-255,04,99
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				222,00,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		10,60,00	5,82,43	-4,77,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत हुई/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1721.00	1621.00	1587.19	-33.81
पु.	R.	-100.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	64385.00			
पू.	S.	3.00	760.03	..	-760.03
पु.	R.	-63627.97			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2851"	Major Head "2851"					
ग्राम और लघु उद्योग	Village and Small Industries					
मू.	O.	581030.00				
पू.	S.	2.00		622559.97	620048.82	-2511.15
पु.	R.	41527.97				

(I) ₹65481.00 लाख का प्रावधान (जुलाई, 2017 और दिसंबर, 2017 तथा मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹3.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पन्द्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹65331.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः—

(का) मुख्य शीर्ष "2552" —

(क) "ग्राम और लघु उद्योग — खादी और ग्राम उद्योग" —

(i) "खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग का विकास" — ₹5342.00 लाख (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)

(ii) "प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणता प्रमाणन" — ₹400.00 लाख;

(ख) "ग्राम और लघु उद्योग — नारियल रेशा उद्योग — खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग का विकास" — ₹1050.00 लाख;

(ग) "ग्राम और लघु उद्योग — अन्य ग्राम उद्योग — प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायक स्कीमें" — ₹13766.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(I) Provision of ₹65481.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹3.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018) remained wholly unutilised under fifteen heads; of these ₹65331.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Village and Small Industries - Khadi and Village Industries"-

(i) "Development of Khadi, Village and Coir Industries" - ₹5342.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs);

(ii) "Technology Upgradation and Quality Certification" - ₹400.00 lakhs;

(b) "Village and Small Industries - Coir Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries" - ₹1050.00 lakhs;

(c) "Village and Small Industries - Other Village Industries - Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹13766.00

lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(घ) "ग्राम और लघु उद्योग – लघु उद्योग" –

(i) "प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणता प्रमाणन" – ₹7423.00 लाख;

(ii) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीमें" – ₹30070.00 लाख;

(iii) "विपणन संवर्धन स्कीम" – ₹290.00 लाख;

(iv) "अवसंरचना विकास कार्यक्रम" – ₹4500.00 लाख;

(v) "अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन" – ₹605.00 लाख; और

(ङ.) "ग्राम और लघु उद्योग – अन्य व्यय – उद्यमिता और कौशल विकास" – ₹792.00 लाख।

(d) "Village and Small Industries - Small Scale Industries" -

(i) "Technology Upgradation and Quality Certification" - ₹7423.00 lakhs;

(ii) "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹30070.00 lakhs;

(iii) "Marketing Promotion Scheme" - ₹290.00 lakhs;

(iv) "Infrastructure Development Programme" - ₹4500.00 lakhs;

(v) "Research and Evaluation Studies" - ₹605.00 lakhs; and

(e) "Village and Small Industries - Other Expenditure - Entrepreneurship and Skill Development" - ₹792.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्योत्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above ten heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "2851" –

(क) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – विपणन संवर्धन स्कीम" – ₹200.00 लाख;

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – विपणन संवर्धन स्कीम" – ₹145.00 लाख; और

(B) Major Head "2851" -

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Marketing Promotion Scheme" - ₹200.00 lakhs;

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Marketing Promotion Scheme" - ₹145.00 lakhs; and

(ग) “अन्य व्यय– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीमें” – ₹748.00 लाख;

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और अन्य स्कीम की चल रही मांग के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय” – ₹133.81 लाख की बचत (₹1721.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर्मचारियों का बाहर स्थानांतरण किए जाने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2851” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई।

(का) “निदेशन और प्रशासन – सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का आयुक्त का विकास” – ₹190.06 लाख की बचत (₹2626.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विक्रेताओं से दावे की प्राप्ति न होने और जीईएम पोर्टल के साथ जारी तकनीकी के कारण हुई।

(खा) “लघु उद्योग” –

(क) “अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन” – ₹104.84 लाख की बचत (₹890.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर ई की प्राप्ति देर से होने और आँकड़ा संग्रहण में परिणाम स्वरूप देर के कारण हुई।

(ख) “अवसंरचना विकास कार्यक्रम” – ₹5692.93 लाख की बचत (₹36800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय संबंधित स्थापना में कटौती किए जाने तथा स्कीम/परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं डिजाइन विद्युत माप उपकरण संस्थान, मुम्बई से विलंब से दस्तावेजों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(c) “Other Expenditure - Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes”- ₹748.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-receipt of viable proposals, scheme being demand driven.

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat - Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises” - saving of ₹133.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1721.00 lakhs) was due to transfer out of staff and less foreign tours undertaken.

(III) Under Major Head “2851” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration - Development of Commissioner of Micro, Small and Medium Enterprises” - saving of ₹190.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2626.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from the vendors and technical issues with GEM Portal.

(B) “Small Scale Industries”-

(a) “Research and Evaluation Studies” - saving of ₹104.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹890.00 lakhs) was due to late receipt of RE and consequent delay in collection of data.

(b) “Infrastructure Development Programme” - saving of ₹5692.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36800.00 lakhs) was due to reduction in establishment related expenses and requirement of less funds for implementing the scheme/project and late receipt of documents from the NER and Institute of Design Electrical Measuring Instrument, Mumbai.

(ग) "विपणन संवर्धन स्कीम" – ₹306.93 लाख की बचत (₹1410.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने मांग प्रेरित एवं 8.1.2018 से लागू वार कोड स्कीम के खतम होने के कारण हुई।

(c) "Marketing Promotion Scheme" - saving of ₹306.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1410.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals, scheme being demand driven and discontinuation of bar code scheme with effect from 8.1.2018.

(घ) "प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन" – ₹2077.25 लाख की बचत (₹31226.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(d) "Technology Upgradation and Quality Certification" - saving of ₹2077.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31226.00 lakhs);

(ङ) "उद्यमिता और कौशल विकास" – ₹1380.09 लाख की बचत (₹15190.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(e) "Entrepreneurship and Skill Development" - saving of ₹1380.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15190.00 lakhs);

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(C) "Tribal Area Sub-Plan" -

(क) "प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणता प्रमाणन" – ₹4157.64 लाख की बचत (₹4417.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(a) "Technology Upgradation and Quality Certification" - saving of ₹4157.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4417.00 lakhs);

(ख) "उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम" – ₹252.19 लाख की बचत (₹311.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "Enterpreneurship and Skill Development" - saving of ₹252.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹311.00 lakhs);

(ग) "अवसंरचना विकास कार्यक्रम" – ₹3774.15 लाख की बचत (₹6200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(c) "Infrastructure Development Programme" - saving of ₹3774.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6200.00 lakhs);

(घ) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीमें" – ₹242.00 लाख की बचत (₹406.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(d) "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - saving of ₹242.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹406.00 lakhs);

(घा) "अनुसूचित जनजाति विशेष संघटक योजना" –

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणता प्रमाणन" – ₹7489.00 लाख की बचत (₹8034.00

(a) "Technology Upgradation and Quality Certification" - saving of ₹7489.58 lakhs

लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "उद्यमिता और कौशल विकास" – ₹365.10 लाख की बचत (₹460.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त आठ शार्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्तावों की कम/प्राप्ति न होने एवं स्कीम की चल रही मांग के कारण हुई।

(ग) "अवसंरचना विकास कार्यक्रम" – ₹1765.37 लाख की बचत (₹7500.00 स्वीकृत प्रावधान को तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र एवं विद्युत माप उपकरण संस्थान, मुम्बई के डिजाइन दस्तावेजों की प्राप्ति देर से होने के कारण हुई।

(घ) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीमें" – ₹352.00 लाख की बचत (₹590.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ङ) "नारियल रेशा उद्योग – खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग" – ₹4272.95 लाख की बचत (₹10340.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत स्टेक होल्टर से कम आवेदनों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(चा) "अन्य ग्रामीण उद्योग – उद्यमिता और कौशल विकास" – ₹220.45 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत संपत्ति सृजन क लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(छा) "अन्य व्यय – उद्यमिता और कौशल विकास" – ₹1795.00 लाख की बचत (₹2248.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्टेक होल्डर से संबंधित उपयुक्त

(against the sanctioned provision of ₹8034.00 lakhs); and

(b) "Entrepreneurship and Skill Development" - saving of ₹365.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹460.00 lakhs).

Savings under the above eight heads were due to less/non-receipt of viable proposals, scheme being demand driven.

(c) "Infrastructure Development Programme" - saving of ₹1765.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and late receipt of documents from the NER and Institute Design Electrical Measuring Instrument, Mumbai.

(d) "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - saving of ₹352.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹590.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals.

(E) "Coir Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries" - saving of ₹4272.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10340.00 lakhs) was due to receipt of less applications from the stakeholder under SFURTI Scheme.

(F) "Other Village Industries - Entrepreneurship and Skill Development" - saving of ₹220.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for creation of capital assets.

(G) "Other Expenditure - Entrepreneurship and Skill Development" - saving of ₹1795.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2248.00 lakhs) was due to requirement of less funds owing to non-

प्रस्तावों की प्राप्ति कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹48193.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि जुलाई, 2017 और दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किए गए ₹5.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) "खादी और ग्रामीण उद्योग – खादी, ग्रामीण और नारियल रेशा उद्योगों का विकास" – ₹25563.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹25353.50 लाख था।

(खा) "अन्य ग्रामीण उद्योग – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीमें" – ₹5669.86 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹5668.85 लाख था।

(गा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" –

(i) "खादी, ग्राम और नारियल रेशा का विकास" – ₹573.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹572.33 लाख था।

(ii) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीमें" – ₹4909.15 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4889.15 लाख था।

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "खादी, ग्राम और नारियल रेशा का विकास" – ₹159.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹143.99 लाख था।

(ii) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीमें" – ₹11318.99 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹11236.99 लाख था।

receipt of sufficient proposals from the concerned stakeholders.

2.(I) The above savings were partly (₹48193.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹5.00 lakhs in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 under Major Head "2851" - under the following heads:-

(A) "Khadi and Village Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries" - ₹25563.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹25353.50 lakhs.

(B) "Other Village Industries - Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹5669.86 lakhs. Actual excess, however, was ₹5668.85 lakhs.

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Development of Khadi, Village and Coir Industries" - ₹573.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹572.33 lakhs.

(ii) Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹4909.15 lakhs. Actual excess, however, was ₹4889.15 lakhs.

(D) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Development of Khadi, Village and Coir Industries" - ₹159.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹143.99 lakhs.

(ii) "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹11318.99 lakhs. Actual excess, however, was ₹11236.99 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2851” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2851” - under the following heads:-

(का) “लघु उद्योग – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम” – ₹26000.00 लाख का अधिक व्यय (₹209540.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(A) “Small Scale Industries - Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP)” - excess of ₹26000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹209540.00 lakhs);

(खा) “खादी और ग्राम उद्योग – प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणता प्रमाणन” – ₹162.72 लाख का अधिक व्यय (₹4100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(B) “Khadi and Village Industries - Technology Upgradation and Quality Certification” - excess of ₹162.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4100.00 lakhs); and

(गा) “अन्य व्यय – अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन” – ₹586.26 लाख का अधिक व्यय (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(C) “Other Expenditure - Research and Evaluation Studies” - excess of ₹586.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष “4059” लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4059” Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	900.00	1000.00	572.43	-427.57
पु.	R.	100.00			

(I) ₹100.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "कार्यालय भवन – अन्य व्यय – कार्यालय आवास का निर्माण – ग्राम और लघु उद्योग" – ₹327.57 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुआ।

(I) Provision of ₹100.00 lakhs remained wholly unutilzed under one head.

(II) Under "Office Building - Other Expenditure - Construction of Office Accommodation - Village and Small Industries" - saving of ₹327.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to slow pace of work by Central Public Works Department.